प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 46 अंक – 47 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 06 – 13 दिसम्बर 2021 मूल्य पांच रुपए

प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा से पहले प्रदेश भाजपा में फिर उभरी हलचल

शिमला/शैल। जयराम सरकार को सत्ता में चार वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर मण्डी में राज्य स्तरीय एक आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजा गया है। नरेंद्र मोदी इस आयोजन में शामिल होंगे या नहीं यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। जहां सरकार सता के चार साल पूरे करने जा रही है वहीं पर इस चौथे वर्ष में हुए चारों उपचुनाव की सरकार हार गयी है। इस हार पर तत्कालिक प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महंगाई को इसका कारण बताया था। यह संयोग है कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पेट्रोल – डीजल की कीमतों में कमी आयी थी। लेकिन 2014 से अगर तुलना की जाये तो आज भी कीमतें कई गुना ज्यादा है। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री इस जश्न पर मण्डी आते हैं तो वह इस महंगाई और बेरोजगारी के लिए क्या जवाब देते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जहां मण्डी को आयोजन स्थल बनाया गया है वही पर उसी मण्डी में लोकसभा के लिये भी उपचुनाव हुआ और भाजपा हार गयी। जबकि इसी मण्डी में एक समय स्व.वीरभद्र सिंह और उनके परिवार पर यह आरोप लगाया गया था कि उनके पेड़ पर भी नोट उगते हैं। इस आरोप के बाद प्रतिभा सिंह चुनाव हार गयी थी। लेकिन आज वही प्रतिभा सिंह उन पुराने सारे कलंको को धोते हुये मोदी और जयराम दोनों की सरकारों के हाथों से यह सीट छीन कर ले गयी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मण्डी की हार की जिम्मेदारी कौन लेता है जयराम या मोदी।

उपचुनावों की हार के लिए हुये मंथन के बाद कुछ हलकों में इस हार के लिए धूमल और उनके नजदीकियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके लिए यह तर्क दिया गया है कि 2017 में धूमल मुख्यमंत्री का चेहरा थे परंतु जब वह स्वयं चुनाव हार गये और जयराम को पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया तो अब जयराम को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने उपचुनाव में हार की पटकथा लिख दी। जब इस तरह की चर्चाएं सार्वजनिक हुई और उसके बाद प्रेम कुमार धूमल दिल्ली पहुंच गये तो भाजपा के राजनीतिक हलकों में फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इस गर्मी से क्या निकलता है यह आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह एक रोचक स्थिति बन गयी है। क्योंकि अब जब पार्टी चार वर्षों का जश्न चारों उपचुनाव हारने के बाद भी मना रही है तो यह स्वभाविक है कि इन चार वर्षों में जो कुछ प्रदेश और सरकार में घटा है वह सब भी चर्चा में आयेगा ही। क्योंकि इस सरकार में जिस तरह से समय-समय पर पत्र बम फूटते रहे हैं उनमें उठाये गये मुद्दे आज भी यथास्थिति बने हुये हैं। इन्हीं पत्र बम्बों का परिणाम है स्वास्थ्य विभाग को लेकर हुई एफ आई आर /संगठन को लेकर आये इन्दु गोस्वामी के पत्र को क्या आज भी नजरअंदाज किया जा सकता है शायद नहीं। आज इस सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि इस ने प्रदेश को कर्ज के ऐसे चक्रव्यूह में उलझा दिया है जिससे बाहर निकलना संभव नहीं होगा। इतने

शेष पृष्ठ 8 पर.....

जब सरकार का सूचना एवं जन संपर्क विभाग ही पारदर्शी न हो तो

शिमला/शैल। हर सरकार अपनी नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार – प्रसार करती है। इस प्रचार का एक बड़ा माध्यम समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक संचार तंत्र रहता है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के माध्यम से इस काम को अंजाम दिया जाता है। इसके लिये सरकारी धन खर्च किया जाता है। इसी कारण से विपक्ष इस खर्च की जानकारी सरकार से मांगता है। इस संदर्भ में पिछले कुछ अरसे से विधानसभा के हर सत्र में जयराम सरकार से यह पूछा जा रहा है कि उसने अपने प्रचार प्रसार पर कितना खर्च किया है। किन – किन अखबारों को कितने – कितने विज्ञापन जारी किये हैं। विधानसभा के इस सत्र में भी आशीष बुटेल और राजेंद्र राणा के दो अंताराकित प्रश्न आये लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देने की बजाये यही कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। हर बार यही जवाब आने से यह सवाल उठना और आशंका होना स्वाभाविक है कि सरकार का आचरण इस संबंध में भी पारदर्शी नहीं है। क्योंकि जब सरकार अखबारों को विज्ञापन जारी करती ही है और प्रचार के अन्य माध्यमों पर भी खर्च करती है तब इस खर्च की जानकारी का विवरण सदन में रखने से हिचकिचाहट क्यों? इसके लिए सरकारी धन का करोड़ों में खर्च हो रहा है। यह सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का पैसा नहीं है। जिसके खर्च पर पार्टी का नियंत्रण हो। जब सरकार यह जानकारी भी सदन के माध्यम से जनता के सामने नहीं रखना चाहती है तो इसका अर्थ है कि वह इसमें कुछ छुपाना चाहती है। कुछ छुपाने की व्यवस्था तब आती है जब इसमें नियमों का पालन न किया गया हो। उन अखबारों को प्रोत्साहन दिया गया हो जिन्होंने तबलीगी समाज को करोना बम्ब करार दिया था। जिन अखबारों ने सरकार से सवाल पूछने का दुस्साहस किया है उनके विज्ञापन बंद करके उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया हो । जब सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क ही पारदर्शी न हो तो सरकार की कारगुजारीयों को लेकर उसके माध्यम से भेजी गई सूचनायें कितनी विश्वसनीय और पारदर्शी होंगी। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सूचना और जनसंपर्क विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। इस विभाग का महत्व कई अर्थों में सरकार के गुप्तचर विभाग से भी ज्यादा होता है। क्योंकि हर अखबार और अन्य माध्यमों से आने वाले समाचारों की जानकारी मुख्यमंत्री तथा तंत्र के अन्य बड़े अधिकारियों तक ले जाना इसकी जिम्मेदारी है। जहां कोई सूचना या जानकारी गलत छप गई हो उसका खंडन और स्पष्टीकरण जारी करना इस विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में यह विभाग सरकार और पत्रकारों के मध्य एक संवाद स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। शायद यह विभाग इस नीति से चला कि सवाल पूछने वाले के विज्ञापन बंद करके उस प्रकाशन को ही बंद करवा दिया जाये। लेकिन विभाग यह भूल गया कि अब जबसे मीडिया के बड़े वर्ग पर गोदी मीडिया होने का टैग लगा है तबसे पाठक उन छोटे बड़े समाचार पत्रों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं जो दस्तावेजी प्रमाणों के साथ जनता में जानकारियां रख रहे हैं।

युवा अपना शोध कार्य कृषि समुदाय तक लेकर जाएं:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि उपाधि धारकों को यह निर्णय लेना होगा कि वह रोजगार प्राप्त करने वाले अथवा रोजगार प्रदाता बनना चाहते है। उन्होंने युवा विज्ञानियों से आग्रह किया कि वे विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित उच्च मानकों पर खरा उतरने का प्रयास करें क्योंकि देश और विश्व में वे इस विश्वविद्यालय से निकले वैज्ञानिक के रूप में पहचाने जाएंगे।

राज्यपाल सोलन जिला में डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर बतौर मुख्यातिथि अपना सम्बोधन दे रहे थे। उन्होंने दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्र-छात्राओं को 665 डिग्रियां, 11 स्वर्ण पदक और 261 मेरिट प्रमाण पत्र प्रदान किए।

स्वर्ण पदक विजेताओं और उपाधी धारकों को शुभकामानाएं देते हुए उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह एक ऐसा स्मरणीय पल है जो हमें भविष्य में उन्नति और इसमें विश्वविद्यालय के विशेष योगदान की याद दिलाता रहेगा। उन्होंने आग्रह किया कि युवा अपना शोध कार्य कृषि समुदाय तक लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि जब तक यह शोध

किसानों तक नहीं पहुंचता है, इसका कुछ भी उपयोग नहीं है।

उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह एक ऐसा औपचारिक आयोजन है जहां न केवल छात्रों को सम्मानित किया जाता है बल्कि विश्वविद्यालय को भी उनके प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धियां छात्रों के कड़े परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने इसमें शिक्षकों, गैर शिक्षकों और छात्रों के अभिभावकों के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि छात्रों की यह उपाधियां तभी मूल्यवान हैं जब उनका शोध खेतों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है बल्कि आज का यह दिन नई शिक्षा और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की शुरूआत का दिवस है।

उन्होंने छात्रों का आहवान किया कि वे अवसरों का लाभ उठाते हुए स्वयं में समाज का नेतृत्व करने और इसे आगे ले जाने की क्षमता विकसित करें। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को उद्यमिता के क्षेत्र में परामर्श केन्द्र विकसित करने के भी निर्देश दिए।

राज्यपाल ने कहा कि किसानों की रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है क्योंकि यह कीटनाशक प्रतिवर्ष महंगे होते जा रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि फल-सब्जियों इत्यादि को कीटों और विभिन्न रोगों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक संसाधनों को अपनाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षित खाद्य पदार्थों का उत्पादन हमारा उद्देश्य होना चाहिए और राज्य सरकार ने हिमाचल को प्राकृतिक खेती राज्य के रूप में विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार के यह प्रयास इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल सिद्ध होंगे।

आर्लेकर ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी अटल इनोवेशन रैंकिंग में देश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में उच्च ए (6-25 रैंक) पर रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भी इसे 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इण्डिया टूडे एमडीआरए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में भी इस विश्वविद्यालय ने देश भर के राजकीय विश्वविद्यालयों में 25वां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय भविष्य में भी अपने प्रदर्शन में और सुधार करते हुए रैंकिंग मानकों में बेहतर स्थान प्राप्त करेगा। उन्होंने खुशी जताई की विश्वविद्यालय में छात्राओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की है और यह एक शुभ संकेत है क्योंकि कृषि-बागवानी और वानिकी में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के नजदीक ढली में हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान का दौरा किया और संस्थान के विद्यार्थियों से संवाद किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह बच्चे समाज के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि यह समाज का कर्तव्य है कि विशेष रूप से सक्षम इन बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करें और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ें। उन्होंने संस्थान के बच्चों को आत्मनिर्भर बनने और आजीविका अर्जित करने के लिए विभिन्न व्यवसायिक कार्यक्रम संचालित करने पर सन्तोष व्यक्त किया।

आर्लेकर ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोई कार्य नहीं करते और नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। इसके विपरीत यह बच्चे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इन्हें विशेष बनाता है। इस कारण यह बच्चे अक्षमता से आगे निकल चुके हैं।

राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को अपनी भावनाएं व्यक्त करने और प्रतिभा प्रदर्शित करने का समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने इन बच्चों की विशेष देखभाल और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अध्यापकों का भी आभार व्यक्त किया।

इससे पूर्व, हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद की महासचिव पायल वैद्य ने राज्यपाल का स्वागत किया और बाल कल्याण परिषद द्वारा विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में 105 श्रवण बाधित और 35 दृष्टिबाधित बच्चे नामांकित हैं और इनकी देखभाल के लिए लगभग 46 शिक्षक एवं गैर-शिक्षक कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को पारंगत करने के लिए पांच व्यवसायिक पाठयक्रम चलाए जा रहे हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने बच्चों को राज्य रेडक्रॉस के माध्यम से ट्रैक सूट और कम्बल वितरित किए।

विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान के प्रधानाचार्य डी.पी. राणा ने राज्यपाल को संस्थान की गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया।

राज्यपाल के सचिव प्रियतु मण्डल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने साइकिल रैली को रवाना किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश साइकलिंग एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित साइकिल रैली को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से रवाना

किया। यह रैली आमजन, विशेष रूप से 18 से 19 वर्ष के युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस रैली की टैगलाइन 'साइकलिंग फॉर डैमोक्रेसी एण्ड वैल बींग' थी। रैली में महिला एवं पुरूष प्रतिभागियों ने कनिष्ठ, युवा और विशिष्ठ वर्ग के अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा में भाग लिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में फोटो पहचान पत्र-2022 का विशेष संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिमाचलवासी भारत का नागरिक है और जिसने 1 जनवरी, 2022 तक 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर ली है, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन विभाग मतदाता के पंजीकरण के लिए विशेष प्रयास कर रहा है और इसके लिए यह साइकिल रैली आयोजित की गई है। उन्होंने युवाओं से मतदाता सूची के बारे में स्वयं जागरूक होकर अपने परिजनों और आस-पास के लोगों को भी जागरूक करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी युवा का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनका नाम ऑनलाइन माध्यम से या बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा पंजीकृत किया जाए।

इससे पूर्व, हिमाचल साइकिल एसोसिएशन के सचिव मोहित सूद ने राज्यपाल का स्वागत किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. पालरासू, राज्यपाल के सचिव प्रियतु मण्डल, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

राज्यपाल ने गायिका मुस्कान नेगी को बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जानी-मानी युवा दृष्टिबाधित गायिका मुस्कान नेगी को राष्ट्रीय स्तर पर 'गोल्डन वॉयस अवार्ड' जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुस्कान नेगी युवाओं के लिए प्रेरणा हैं।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि हाल ही में विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में वह मुस्कान नेगी का गीत और ब्रेल लिपि में लिखा गया उनका भाषण सुनकर बहुत प्रभावित हुए थे। एक प्रतिभाशाली पीएचडी स्कॉलर होने के साथ-साथ वह भारत निर्वाचन आयोग की 'यूथ आइकन' और उमंग फाउंडेशन की ब्रांड एंबेसडर भी हैं।

देशभर के 200 प्रतिभागियों में अपनी जगह बनाकर 51 हजार रुपए का प्रथम पुरस्कार जीतना हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पूरी तरह से दृष्टिबाधित मुस्कान ने यह साबित कर दिया है कि यदि हौसले बुलंद हों तो कोई भी दिव्यांगता मंजिल प्राप्त करने में बाधा नहीं बन सकती। उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास करने पर उमंग फाउंडेशन को भी बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने शहीद विवेक कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे पर पैरा कमांडो लांस नायक विवेक कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। लांस नायक विवेक कुमार तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। इस त्रासदी में देश के पहले

सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के 11 वीर जवानों को भी राष्ट्र ने खो दिया।

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला की तहसील जयसिंहपुर के निवासी शहीद जवान को पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शहीद जवान के परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शोक संतप्त परिवार को तत्काल पांच लाख रुपये सहायता राशि प्रदान की है। उन्होंने शहीद के परिवार को अपनी ऐच्छिक निधि से अतिरिक्त पांच लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विवेक कुमार का जन्म वर्ष 1993 में हुआ था और वह वर्ष 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे। उन्होंने शहीद के पिता रमेश चन्द को भी सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि दुःख की घड़ी में प्रदेश सरकार की संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं।

जयसिंहपुर के विधायक रविन्द्र धीमान, पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, ले. जनरल पी.एन. अन्नतनारायण, ब्रिगेडियर एम.के. शर्मा, कैप्टन मंगेश भोसले, उपायुक्त डॉ. निपुण जिन्दल और पुलिस अधीक्षक खुशहाल शर्मा ने भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं को संजोए रखने के लिए वचनबद्ध:जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। देव संस्कृति हिमाचल प्रदेश की विशेषता है और प्रदेशवासियों की देव समाज व देव-देवताओं में अगाध श्रद्धा है। प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं को संजोए रखने के लिए वचनबद्ध है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सराहन गांव में श्री पुंडरिक ऋषि के नये रथ की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को शिमला से दूरभाष पर दिए अपने सन्देश में कही। मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना था, परन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वह वहां नहीं जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की देवता पुंडरिक ऋषि में असीम श्रद्धा है तथा उन्हें भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। उन्होंने कहा कि एक जनश्रुति के अनुसार ग्राम दोगली के निकट सराहरी सरोवर के पास ऋषि लम्बे समय तक तपस्या में लीन रहे और भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर वैकुण्ठ धाम आने का निमंत्रण दिया तथा साथ ही साथ इस स्थान को वैकुण्ठ धाम से नाम से अभिभूत किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि बनोगी, सैंज में लगभग 47 लाख रुपये की लागत से निर्मित वन विभाग के विश्राम गृह का भी लोकार्पण किया गया है, जिसके लिए उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस विश्राम गृह के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर श्री पुंडरिक ऋषि मेला मैदान में विधायक बंजार सुरेन्द्र शौरी, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष भीम सेन, मण्डल अध्यक्ष बलदेव महन्त, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य बनवारी लाल, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष नवल नेगी, प्रधान बनोगी इन्दिरा देवी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे, जबकि उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग शिमला में मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।

युवाओं का संसदीय प्रणाली की ओर आकर्षित होना लोकतन्त्र का मजबुत आधार:विपिन सिंह परमार

शिमला/शैल। 10 दिसम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र को देखने आये सुलह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के तीन वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं क्रमश: डरोह, मरहूं, तथा भोड़ा के छात्र-छात्राओं ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से तपोवन विधानसभा परिसर में भेंट कर विधानसभा की कार्य प्रणाली की जानकारी हासिल की । इस अवसर पर परमार ने कहा कि लोकसभा तथा विधानसभा एक ऐसे मंच हैं जहां देश व प्रदेश का कानून बनाया जाता है तथा जहां विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है।

उन्होंने कहा कि सार्थक चर्चा के माध्यम से हर प्रश्न का हल निकलता है तथा विधायक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का प्रयास करते हैं। परमार ने कहा कि लोकतन्त्र की मजबूती के लिए युवाओं का प्रेरित होना परम् आवश्यक है। परमार ने कहा कि आज की पीढ़ी के बच्चे जिस तरह संसदीय प्रणाली को जानने के प्रति इच्छा जाहिर कर रहे हैं उससे संसदीय प्रणाली तथा लोकतन्त्र का भविष्य उज्जवल हैं। इन स्कूली छात्रों का यहां आना, विधानसभा की कार्यवाही देखना लोकतन्त्र की मजबुती का स्पष्ट उदारहण तथा आधार है। परमार ने सभी छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें राष्ट्रहित तथा राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने का आहवान किया।

प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

शिमला/शैल। प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए पूरे प्रदेश में 11 दिसंबर, 2021 को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन मे हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

न्यायमूर्ति सबीना, कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 29 नवंबर, 2021 को जिला न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और सचिवों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिला न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को लोक अदालत के लिए पर्याप्त संख्या में मामलों की पहचान करने एवं बार सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा लोक अदालत मे मामलों के निपटारे को बड़ाने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यकारी अध्यक्ष ने लोक अदालत के माध्यम से मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए बार सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आक्रामक रवैया अपनाने पर ज़ोर दिया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी पक्षों को आपसी समझौता करने के लिए बातचीत के अवसर प्रदान करने के लिए अधिकतम पूर्व-लोक अदालत / पूर्व-सुलह बैठकों का आयोजन किया जाए तथा सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम अदालत के मामलों, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए प्रेरित किया।

न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ने जिला न्यायालय शिमला, जिला न्यायालय सोलन तथा उपमंडल न्यायालय कंडाघाट में चल रही लोक अदालत के कामकाज का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण किया तथा वहाँ मौजूद पक्षकारों से बातचीत भी की।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 25836 मामलों को आपसी सुलह-समझौते के लिया गया जिनमें से लगभग 9000 मामलों का निपटारा आपसी सुलह व समझौते से किया गया तथा लगभग मुद्र 26,00,000,00/- (छबीस करोड़ केवल) का मुआवजा भी पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से दिलाया गया।

वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का कार्यक्रम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हितधारकों, पीआरआई, विधिक सेवा संस्थानों के पदाधिकारियों, पीएलवी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार के लिए तथा वादियों को त्वरित और समय पर न्याय प्रदान करने तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालतों में वादी जनता की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उप-मण्डल विधिक सेवा समतियों के साथ साझा किया गया है। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का कार्यक्रम इस प्रकार है: -

प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च, 2022
द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई, 2022
तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त, 2022
चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवम्बर, 2022

राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने मनाया 51वां स्थापना दिवस

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। वर्ष 2020 में आबकारी एवं कराधान विभाग का नाम बदलकर राज्य कर एवं आबकारी विभाग किया गया था।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विभाग को स्थापना दिवस की बधाई दी है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा ने धर्मशाला में आयोजित 51वें राज्य स्तरीय स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों से राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस भी उपस्थित थे।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग आज ही के दिन वर्ष 1970 में अस्तित्व में आया था। पिछले 46 वर्षों में विभाग द्वारा एकत्रित राजस्व में 69 गुणा वृद्धि हुई है। वर्ष 1974-75 में 11 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया गया था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 7044 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 1970 में विभाग में एक आबकारी एवं काराधान अधिकारी का पद था, जिसकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 119 हो गई है। वर्ष 1978 तक अधिकांश राजस्व शराब से उत्पाद शुल्क के रूप में आ रहा था। वर्ष 1979 में बिक्री कर पहली बार उत्पाद राजस्व से अधिक हो गया। वर्तमान में राज्य के राजस्व का 80 प्रतिशत से अधिक पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी और वैट से एकत्र किया जा रहा है। विभाग वर्तमान में 12 कर अधिनियमों को विनियमित कर रहा है।

राज्य के विकास में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका को राज्य के अपने कर राजस्व में इसके योगदान से देखा जा सकता है। वर्ष 2020-21 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में विभाग का योगदान 89 प्रतिशत रहा है।

इन वर्षों के दौरान विभाग कराधान प्रणालियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का गवाह रहा है। वस्तु कराधान 1970 में सामान्य बिक्री कर से बदला गया। वर्ष 2005 में वैट के रूप में कमोडिटी टैक्स के नए रूप ने मूल्य श्रृंखला में बिक्री के सभी चरणों में कर के दायरे को बढ़ा दिया। हालांकि वैट राज्य की सीमाओं तक ही सीमित था। जीएसटी के कार्यान्वयन ने मूल्य श्रृंखला में सभी चरणों में कराधान का दायरा बढ़ाया, भौगोलिक सीमाओं की सीमा, वस्तुओं और सेवाओं के भेद को हटा दिया गया। जीएसटी ने करदाताओं और विभाग के बीच के संचार को भी ऑनलाइन कर दिया है। विभाग अब लगभग 1.2 लाख करदाताओं, 1900 शराब की दुकानों और 23 शराब कारखानों का प्रबंधन कर रहा है। जीएसटी लागू होने के पहले चार वर्षों में पंजीकृत व्यवसायों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।

प्रदेश में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सभी कार्यालयों में 51वां स्थापना दिवस मनाया गया और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ईमानदारी एवं लगन से कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यालयों में करदाताओं के लिए जागरूकता शिविर और सम्मान समारोह भी आयोजित किए गए।

बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार की अनुदान योजना को मिली सराहना

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की पूरे देश में सराहना की जा रही है। हाल ही में एक गैर सरकारी संस्था स्कॉच ग्रुप द्वारा राज्य में गौसेवा के कार्य को सराहा गया है।

उन्होंने बताया कि यह संस्था सरकारी विभागों या संस्थाओं द्वारा जनसेवा में किये जा रहे अभिनव कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत करती है।

इस संस्था द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा बेसहारा गौवंश के संरक्षण के उद्देश्य से आरंभ अनुदान योजना को मेरिट पर आंका है। इस योजना के अंतर्गत राज्य गौसेवा आयोग के माध्यम से बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए पांच सौ रुपये प्रति गौवंश प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि योजना से अन्य राज्य भी प्रभावित हुए हैं व इसे अपनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के प्रयासों से गौ सेवा आयोग का गठन कर बेसहारा गौवंश के लिए बेहतरीन कार्य किया है।

वहीं, स्कॉच ग्रुप द्वारा इस योजना के मेरिट में आंके जाने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, मत्स्य पालन व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने गौसेवा आयोग के सभी सदस्यों, पशुपालन विभाग के अधिकारियों व राज्य की जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेसहारा गौवंश के लिए विभिन्न गौशाला व गौसदनों के साथ-साथ बड़े गौ अभयारण्य स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश की सड़कों को बेसहारा गौवंश मुक्त कर दिया जाएगा।

वस्तु एवं सेवा कर विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी दक्षिण क्षेत्र के तत्वाधान में राजकीय महाविद्यालय संजौली में वस्तु एवं सेवा कर विषय पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को कर तथा इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में दक्षिण क्षेत्र आबकारी एवं कराधान के अतंर्गत जिलों से विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों से वस्तु एवं सेवा करके संदर्भ में प्रश्नोत्तरी की गई तथा उन्हें विभाग की कार्य प्रणाली के बारे में भी अवगत करवाया गया।

प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय संजौली ने प्रथम स्थान, कण्डाघाट महाविद्यालय ने द्वितीय और नाहन महाविद्यालय ने तृतीय स्थान हासिल किया।

आदित्य नेगी ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

उदारता, प्रेमदायक भाषण, हिम्मत और अच्छा चरित्र कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सारे जन्मजात गुण ही होते है।

.....चाणक्य

सम्पादकीय

नोटबन्दी से अदानी एस.बी.आई. डील तक पहुंचा देश

इस समय केंद्र में 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सत्तारूढ़ है। 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तब देश में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा था। भ्रष्टाचार इस आंदोलन का मुख्य बिन्दु था क्योंकि उस समय सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से यह सामने आया था कि 2जी में 1,76,000 करोड़ का घपला हो गया है। इसी के साथ एशियन गेम्स आदि और भी कई प्रकरण जुड़ गये थे। विदेशों में भारतीयों का लाखों करोड़ का काला धन जमा होने के कई आंकड़े उछाले जा रहे थे। कुल मिलाकर तबकि डॉ. मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार का पर्याय घोषित कर दिया गया था। यह वादा किया गया था कि यूपीए हटने के बाद अच्छे दिन आयेंगे। हर भारतीय के खाते में पन्द्रह लाख जमा हो जायेंगे। इस प्रचार का असर होना स्वभाविक था और परिणामत: सत्ता बदल गयी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गये। उस समय यह भी कहा गया था जहां देश ने कांग्रेस को साठ वर्ष दिये हैं वहीं पर मोदी भाजपा के लिये 60 महीने का समय मांगा गया था। 2014 के बाद 2019 में फिर चुनाव हुए और जनता ने एक बार फिर मोदी पर विश्वास करके भाजपा को इतना समर्थन दे दिया है कि उसे आज लोकसभा में एनडीए के अन्य सहयोगियों की भी आवश्यकता नहीं है।

नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता संभाले सात वर्ष हो गये हैं। इन सात वर्षों में 2014 के मुकाबले महंगाई और बेरोजगारी कहां पहुंच गयी है इसका दंश अब हर आदमी झेल रहा है। देश जिस आर्थिक स्थिति में पहुंच चुका है वहां पर महंगाई और बेरोजगारी के कम होने की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी है क्योंकि यह सब सरकार के गलत आर्थिक फैसलों का परिणाम है। 2014 में यूपीए को भ्रष्टाचार का पर्याय करार दिया गया था इस नाते आज सरकार से यह पूछना हर व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि भ्रष्टाचार के कौन से मामले की जांच सात वर्षों में पूरी होकर मामला अदालत तक पहुंचा है। जिस सीएजी विनोद राय ने टूजी में 1,76,000 करोड़ का घपला होने का आंकड़ा देश को परोसा था और यह आरोप लगाया था कि कुछ सांसदों ने उन्हें यह आग्रह किया था कि इसमें प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का नाम नहीं आना चाहिये। इस आरोप के लिए विनोद राय ने अदालत में लिखित में माफी मांग ली है। 1,76,000 करोड़ के घपले को आकलन की गलती मान कर यह कह दिया है कि कोई घपला हुआ ही नही है। क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि 2014 में बड़े योजनाबद्ध तरीके से सरकार के खिलाफ अन्ना, रामदेव आन्दोलन प्रायोजित किये गये थे। क्यों मोदी सरकार डॉ. मनमोहन सरकार के खिलाफ कोई श्वेत पत्र नहीं ला पायी है। आज जिस हालत में देश खड़ा हुआ है हर संवेदनशील व्यक्ति के लिये चिन्ता और चिन्तन का विषय होना आवश्यक है। क्योंकि आना आने वाला समय हर आदमी से हर घर में यह सवाल पूछेगा कि संकट के इस दौर में उसकी भूमिका क्या रही है।

अन्ना आन्दोलन के प्रतिफल रहे हैं नरेंद्र मोदी अरविन्द केजरीवाल और ममता बनर्जी। क्योंकि यह सभी अन्ना के आंदोलन के साथ परोक्ष – अपरोक्ष में जुड़े रहे हैं। यह ममता बनर्जी ही थी जिन्होंने अन्त में अन्ना के लिए आयोजन रखा था। यह दूसरी बात है कि पंडाल में जनता के न आने से अन्ना आयोजन स्थल तक जाने का साहस नहीं कर पाये थे। इसीलिए मोदी के आर्थिक फैसलों का विरोध यह लोग नहीं कर पाये हैं। नोटबंदी पहला और सबसे घातक फैसला रहा है क्योंकि जब 99.6% पुराने नोट नये नोटो के साथ बदल लिये गये तो वहीं से काले धन और टेरर फंडिंग के दावे हवा – हवाई सिद्ध हो गये। उल्टा नये नोट छापने और उनको ट्रांसपोर्ट करने का करीब 38,000 करोड़ का खर्च पड़ा। जून 2014 में बैंकों का एन पी ए जो करीब 2,52,000 करोड़ का था वह आज 2021 में दस खरब करोड़ तक कैसे पहुच गया। कारपोरेट घरानों का दस लाख करोड़ का कर्ज क्यों और कैसे माफ हो गया। क्या इन्ही फैसलों का परिणाम नही है कि आज सरकारी बैकों को प्राइवेट सैक्टर को सौंपने के लिये संसद के इसी सत्र में संशोधन लाया जा रहा है। आज किसानों की आय दो गुणी करने के लिये एस.बी.आई. और अदानी में समझौता हुआ है। अब एस.बी.आई. के माध्यम से अदानी किसानों को कर्ज बांटेगा। जिस अंबानी – अदानी को कृषि कानूनों के कारण माना जा रहा था आज वही अदानी कृषि कानून वापिस होने के बाद किसानों को कर्ज बांटेगा और एस.बी.आई. उसमें सहयोग करेगा जबकि अदानी तो एस.बी.आई. का एक बड़ा कर्जदार है। क्या यह कृषि क्षेत्र पर अदानी के कब्जे का मार्ग प्रशस्त करने का पहला कदम नहीं माना जाना चाहिये।

एस.बी.आई. देश का सबसे बड़ा बैंक है। इस बैंक को अदानी कैपिटल प्रा. लि. के साथ मिलकर किसानों को ट्रैक्टर और कृषि मशीनों की खरीद के लिये कर्ज देने का पार्टनर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एस.बी.आई. अदानी की इस डिल पर ममता की चुप्पी क्यों है? क्या अदानी ने ममता से मिलकर बंगाल के कृषि क्षेत्र में ही इस तरह से निवेश की कोई बड़ी योजना तो नहीं बना रखी है? यह सारे सवाल इस डील और मुलाकात के बाद प्रसांगिक हो उठे हैं। क्योंकि इस सब को एक महज संयोग मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

पंजाब की फिजाओं में आप लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है

गौतम चौधरी

दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सबसे मजबूत स्थिति यदि कहीं है तो वह पंजाब में बताया जाता है। क्यों है, यह अलग चर्चा का विषय है लेकिन फिलहाल पंजाब में आप की जमीनी हकीकत क्या है, उसकी पड़ताल जरूरी है। इससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर पंजाब में आम आदमी पार्टी का संसदीय इतिहास क्या है? मसलन, वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी के कुल 20 विधायक जीते थे। इनमें सुखपाल सिंह खैहरा, नाजर सिंह मानशाहियां, कंवर संधू, एचएस फुल्का, पीरमल सिंह खालसा, रूपिंदर कौर रूबी और जगदेव सिंह कमालू किसी न किसी कारण पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी छोड़ चुके आप के सात विधायक में से चार, सुखपाल सिंह खैहरा, रूपिंदर कौर रूबी, पीरमल सिंह खालसा, जगदेव सिंह कमालू फिलहाल कांग्रेस में हैं।

वोट के मामले में देखें तो वर्ष 2017 में आम आदमी पार्टी को 23. 7 प्रतिशत वोट मिले थे। यह तब मिला था जब कई पार्टियों से आए प्रभावशाली नेता आप में शामिल हुए थे और पंजाब में आम आदमी पार्टी की हवा चलने लगी थी। लोकसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो 2014 में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन प्रदेश में बहुत बढ़िया रहा और पार्टी सिम्बल पर लड़े धर्मवीर गांधी पटियाला संसदीय सीट से, भगवंत मान संगरूर संसदीय सीट से और हरिंदर सिह खालसा फतेहगढ़ साहिब संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते। याद कीजिए जब पंजाब के तीन संसदीय क्षेत्र पर आप का कब्जा हो गया तो कहा जाने लगा कि अब अगली सरकार आप की ही बनेगी। पार्टी को सरदार प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल एवं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का मुख्य प्रतिद्वंद्वी तक बताया जाने लगा। प्रेक्षक यह अनुमान लगाने लगे कि 2017 के विधानसभा चुनाव में आप की न केवल जीत होगी अपितु 117 विधानसभा सीटों में से 70 – 80 सीटों पर पार्टी फतेह हासिल करेगी। लेकिन प्रेक्षकों का अनुमान धरा का धरा रह गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस बाजी मार ले गयी। पूरे देश में मोदी लहर के बावजूद पंजाब में अकाली – भाजपा गठबंधन बुरी तरह चुनाव हारा।

तकरीबन साढ़े तीन महीने बाद 2022 में पंजाब में एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव होना है। इस बार राजनीतिक समीकरण 2017 से बिल्कुल भिन्न है। जिस कैप्टन के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब विधानसभा का चुनाव जीती थी वे इस बार अपने कुन्बे के साथ पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आम आदमी पार्टी के अधिकतर पुराने साथी या तो चुनावी राजनीति से अलग हो चुके हैं या फिर पार्टी छोड़ चुके हैं। अकाली, भाजपा की राह अलग हो चुकी है। विगत लंबे समय से इकटठे रहे अकाली, भाजपा इस बार के विधानसभा चुनाव में एक – दूसरे के खिलाफ ताल ठोकेंगे। हालांकि दोनों के संबंधों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन फिलहाल तो दोनों के रास्ते अलग दिख रहे हैं। ऐसे में किसका पलड़ा भारी है और किसका हल्का यह कहना बहुत कठिन है लेकिन वर्तमान स्थिति और जातीय समीकरणों से कुछ अनुमान जरूर लगाया जा सकता है।

सबसे पहले तो सत्तारूढ़ कांग्रेस की बात की जाए। पंजाब में कैप्टन के चले जाने के बाद भी कांग्रेस फिलहाल अपरहैंड है। कांग्रेस पार्टी से अलग कैप्टन का कोई राजनीतिक आधार नहीं है। कैप्टन अमरिंदर पहले भी अपनी ताकत आजमा चुके हैं। इसलिए यह कहना कि कैप्टन के चले जाने के बाद कांग्रेस का भविष्य अधर में है यह गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी और बादल गुट वाले शिरोमणि अकाली दल की स्थिति प्रदेश में बहुत बुरी है। दोनों इकटठे हो जाएं तो थोड़ी बात बने लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। रही बात आप की तो नि:संदेह आप प्रदेश में संघर्ष करती दिख रही है। पंजाब के मानस के अनुकूल आप युवा और जीवंत दिख रही है लेकिन आप के साथ एक बड़ी विडंवणा खुद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल हैं। केजरीवाल पार्टी को मोदी – भाजपा की तरह अपने पर केन्द्रित करना चाहते हैं। यह पंजाब में नहीं चलेगा और केजरीवाल को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा सार्वजनिक करना ही होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के अधिकतर दलित आप को अपना वोट दिए लेकिन इस बार कांग्रेस ने दलित कार्ड खेल कर आप के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। जानकारी में रहे कि पंजाब के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई दलित समाज का नेता मुख्यमंत्री बना है। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी दलित समाज से आते हैं और पंजाब में अनुसूचित जाति का वोट प्रतिशत 35 के करीब है। इसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है लेकिन आम आदमी पार्टी में इसको लेकर भी भारी मतभेद है।

जानकार सूत्रों की मानें तो खुद अरविन्द केजरीवाल की पत्नी ने बठिंडा से अपना मतदाता पहचा – पत्र बनवाया है। जानकारों का कहना है कि अरविन्द केजरीवाल पंजाब में अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इस बात की चर्चा यदि जोर पकड़ती है तो पार्टी 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी।

पिछली बार पार्टी जीतते – जीतते कैसे हार गयी? इसके पीछे हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण सबसे बड़ा कारण था। पंजाब में हिन्दू वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। कुल 67 ऐसे विधानसभा हैं जहां का जीत – हार हिन्दुओं के वोट पर पर आधारित है। चूंकि केजरीवाल की पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में गरमपंथी सिखों के हाथ मिला लिया इसलिए हिंदुओं ने एकमुश्त कांग्रेस को अपना वोट दे दिया। बाद में जब कैप्टन के नेतृत्व में सरकार बनी तो हिन्दुओं का खासा ध्यान रखा गया। कई मामले सुलझाए गए और पंजाब में नए ढ़ंग से पनप रहे खालिस्तानी आतंकवाद को भी लगभग समाप्त कर दिया गया। इसलिए केजरीवाल की पार्टी को यदि इस बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना है तो दो बातों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा – पहला, पंजाब के किसी जाट सिख नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करना होगा और दूसरा, पंजाब में सक्रिय गरमपंथी सोच रखने वालों से दूरी बना कर रखनी होगी। ऐसा करते हैं तो सी – वोटर की भविष्यवानी सही साबित होगी अन्यथा आप का हश्र 2017 से भी बुरा होगा।

बच्चों के सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग पर माता-पिता और शिक्षकों के लिए परामर्श

शिमला। प्रौद्योगिकी के नए युग में, ऑनलाइन गेमिंग इसमें निहित चुनौतियों की वजह से बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय है क्योंकि ये चुनौतियां उनमें उत्तेजना बढ़ाती हैं और उन्हें अधिक खेलने के लिए प्रेरित करती हैं। इससे बच्चों को इसकी लत लग सकती है। ऑनलाइन गेम या तो इंटरनेट पर या किसी अन्य कंप्यूटर नेटवर्क से खेले जा सकते हैं। ऑनलाइन गेम लगभग हर किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे पीसी, कंसोल और मोबाइल डिवाइस पर देखे जा सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग को फोन या टैबलेट के उपयोग से खेला जा सकता है जो ऑनलाइन गेम की लत का एक सामान्य कारक है क्योंकि बच्चे आसानी से किसी भी समय कहीं भी गेम खेल सकते हैं जोकि उनके स्कूल और सामाजिक जीवन के समय को प्रभावित करता है। इसके अलावा, महामारी के कारण स्कूलों के बंद होने से बच्चों द्वारा मोबाइल और इंटरनेट के उपयोग में भी वृद्धि हुई है।

हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग के कई नुकसान भी हैं। ऑनलाइन गेम खेलने से गेमिंग की लत भी लग सकती है जिसे गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। खेल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि प्रत्येक स्तर पिछले की तुलना में अधिक जटिल और कठिन होता है। यह एक खिलाड़ी को खेल में आगे बढ़ने के लिए खुद को अंतिम सीमा तक जाने के लिए उकसाने का कारण बनता है। इसलिए, बिना किसी प्रतिबंध और आत्म-संयम के ऑनलाइन गेम खेलने से कई खिलाड़ी इसके आदी हो जाते हैं और अंततः उनमें गेमिंग डिसऑर्डर पाया जाता है। गेमिंग कंपनियां भावनात्मक रूप से बच्चों को खेल के और अधिक चरण (लेवल) या ऐप को खरीदने के लिए भी लगभग मजबूर करती हैं।

इसी के मद्देनजर, यह परामर्श माता-पिता और शिक्षकों को व्यापक प्रसार के उद्देश्य से दिया गया है और ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बच्चों में होने वाली मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के बारे में शिक्षित करता है।

क्या न करें:

माता-पिता की सहमति के बिना गेम खरीदारी की अनुमति न दें। ऐप खरीदारी से बचना चाहिए (आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार ओटीपी आधारित भुगतान विधियों को अपनाया जा सकता है।

ऐप्स पर सदस्यता के लिए क्रेडिट/ डेबिट कार्ड पंजीकरण से बचें। हर लेन-देन की व्यय की ऊपरी सीमा निर्धारित करें।

बच्चों को गेमिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले लैपटॉप या मोबाइल से सीधे खरीदारी न करने दें।

बच्चों को अज्ञात वेबसाइटों से सॉफ्टवेयर और गेम डाउनलोड न करने की सलाह दें।

उन्हें वेबसाइटों पर लिंक, इमेज और पॉप-अप पर क्लिक करने से सावधान रहने के लिए कहें, क्योंकि उनमें वायरस हो सकता है और कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है, और इसमें आयु के अनुसार अनुचित सामग्री भी मौजूद हो सकती है।

उन्हें सलाह दें कि गेम डाउनलोड करते समय इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी प्रेषित न करें।

उन्हें कभी भी गेम और गेमिंग प्रोफ़ाइल पर लोगों के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।

उन्हें वेब कैम, निजी संदेश या ऑनलाइन चैट के माध्यम से वयस्कों सहित अजनबियों के साथ संवाद न करने की सलाह दें, क्योंकि इससे ऑनलाइन दुर्व्यवहार करने वालों, या अन्य प्लेयर्स द्वारा धमकाने के बारे में संपर्क का जोखिम बढ़ जाता है।

स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं और उसकी लत लगने के मद्देनजर गेम को बिना रुके लंबे समय तक खेलने से बचने की सलाह दें।

क्या करें-

ऑनलाइन गेम खेलते समय, अगर कुछ गलत हुआ है, तो तुरंत रुकें और एक स्क्रीनशॉट लें (कीबोर्ड पर (प्रिंट स्क्रीन) बटन का उपयोग करके) और इसकी रिपोर्ट करें।

अपने बच्चे की उनकी ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा करने में मदद करें, उन्हें एक स्क्रीन नाम (अवतार) का उपयोग करने के लिए कहें, जो उनके वास्तविक नाम को प्रकट नहीं करता है।

एंटीवायरस/स्पाइवेयर प्रोग्राम का उपयोग करें और फ़ायरवॉल का उपयोग करके वेब ब्राउज़र को सुरक्षित रूप से कॉन्फ़िगर करें।

डिवाइस पर या ऐप या ब्राउज़र पर माता-पिता के नियंत्रण और सुरक्षा सुविधाओं को सक्रिय करें क्योंकि यह कुछ सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने और गेम खरीदारी पर खर्च को सीमित करने में मदद करता है।

यदि कोई अजनबी किसी अनुचित चीज़ के बारे में बातचीत शुरू करने का प्रयास करता है या व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध करता है तो इसके बारे में सूचित करें।

आपका बच्चा जो भी गेम खेल रहा है उसकी आयु रेटिंग जांचें।

बुलीइंग के मामले में, प्रतिक्रिया न देने के लिए प्रोत्साहित करें और परेशान करने वाले संदेशों का रिकॉर्ड रखें और गेम साइट व्यवस्थापक को व्यवहार की रिपोर्ट करें/ब्लॉक करें, उस व्यक्ति को उनकी खिलाड़ियों की सूची से म्यूट या 'अनफ्रेंड' करें, या इन-गेम चैट प्रक्रिया बंद करें।

अपने बच्चे के साथ गेम खेलें और बेहतर तरीके से समझें कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी को कैसे संभाल रहे हैं और वे किसके साथ संवाद कर रहे हैं।

अपने बच्चे को यह समझने में सहायता करें कि ऑनलाइन गेम में कुछ सुविधाओं का उपयोग अधिक खेलने और खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। उनसे जुए के बारे में बात करें, यह क्या है और ऑनलाइन एवं वास्तविक दुनिया में इसके परिणाम क्या हैं।

हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा पारिवारिक स्थान पर रखे कंप्यूटर से इंटरनेट का उपयोग करे।

निम्नलिखित व्यवहारों के लिए सजग रहें:

असामान्य रूप से गुप्त व्यवहार, अधिकतर उनकी ऑनलाइन गतिविधि से संबंधित।

उनके द्वारा ऑनलाइन खर्च किए जाने वाले समय में अचानक वृद्धि, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर।

उनके पास जाने पर वे अपने डिवाइस पर स्क्रीन बदलते प्रतीत होते हैं।

इंटरनेट का उपयोग करने या पाठ संदेश भेजने के बाद, वे पीछे हट जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं।

उनके डिवाइस में अचानक कई नए फ़ोन नंबर और ई-मेल संपर्क आ गए हैं।

घर पर इंटरनेट गेटवे स्थापित करें जिसमें बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की निगरानी, लॉगिंग और नियंत्रण जैसी सुविधाएं हों।

शिक्षकों को छात्रों के गिरते ग्रेड और सामाजिक व्यवहार पर नजर रखने की जरूरत है।

यदि शिक्षक कुछ ऐसा देखते हैं जो संदिग्ध या खतरनाक लग सकता है, तो उन्हें तुरंत स्कूल अधिकारियों को सूचित करना चाहिए।

शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को समय-समय पर इंटरनेट के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूक किया जाए।

शिक्षकों को वेब ब्राउज़र और वेब एप्लिकेशन के सुरक्षित कॉन्फ़िगरेशन के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना चाहिए।

किसी भी अप्रिय घटना की रिपोर्ट करने के लिए, निम्नलिखित लिंक का उपयोग कर सकते हैं।

राष्ट्रीय हेल्पलाइन National Helpline-https://cybercrime.gov.in/Webform/Helpline.aspx

राज्यवार नोडल अधिकारी- https://cybercrime.gov.in/Webform/Crime_NodalGrivanceList.aspx

ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर की योजना पर आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी की

रूफटॉप सोलर के लिए मंत्रालय द्वारा किसी भी विक्रेता को अधिकृत नहीं किया गया है
उपभोक्ताओं को केवल विद्युत वितरण कम्पनियों (डिसकॉम्स- डीआईएससीओएमएस) द्वारा निर्धारित की गई दरों का भुगतान करने की सलाह दी गई है
घरेलू उपभोक्ता डिस्कॉम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

शिमला। अपने घरों की छतों पर सौर (सोलर) पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ग्रिड से जुड़ी घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर) योजना (चरण-II) लागू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय पहले 3 किलोवाट के लिए 40% अनुदान (सब्सिडी) और 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक 20% अनुदान (सब्सिडी) प्रदान कर रहा है। यह योजना राज्यों में स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससी ओएमएस) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

इस मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ रूफटॉप सोलर कंपनियां/विक्रेता यह दावा करके घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर प्लांट) स्थापित कर रहे हैं कि वे मंत्रालय द्वारा अधिकृत विक्रेता हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालय द्वारा किसी भी विक्रेता को अधिकृत नहीं किया गया है। यह योजना राज्य में केवल विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससीओएमएस) द्वारा लागू की जा रही है। डिसकॉम्स ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है और घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर प्लांट) स्थापित करने के लिए दरें भी निर्धारित की हैं।

लगभग सभी विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससी ओएमएस) ने इस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के इच्छुक आवासीय उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सूचीबद्ध विक्रेताओं द्वारा घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर प्लांट) लगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें विक्रेता (वेंडर) को निर्धारित दर के अनुसार मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली अनुदान (सब्सिडी) राशि को कम करके रूफटॉप सोलर प्लांट की लागत का भुगतान करना होगा और इस बारे में प्रक्रिया विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससीओएमएस) के ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई है। मंत्रालय द्वारा डिसकॉम्स के माध्यम से विक्रेताओं को अनुदान (सब्सिडी) राशि प्रदान की जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि मंत्रालय की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें डिसकॉम्स द्वारा अनुमोदन की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके के पैनल में शामिल विक्रेताओं से ही रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करवाना चाहिए।

पैनल में शामिल विक्रेताओं द्वारा स्थापित किए जाने वाले सौर पैनल और अन्य उपकरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों और विनिर्देशों के अनुसार होंगे और इसमें विक्रेता द्वारा घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर प्लांट) का 5 साल का रखरखाव करना भी शामिल होगा।

मंत्रालय के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि कुछ विक्रेता घरेलू उपभोक्ताओं से डिस्कॉम द्वारा निर्धारित दरों से कहीं अधिक मूल्य ले रहे हैं जो गलत है। अतः उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससीओएमएस) द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार ही भुगतान करें। डिसकॉम्स को ऐसे विक्रेताओं की पहचान करने और उन्हें दंडित करने का निर्देश दिया गया है।

अधिक जानकारी के लिए संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी (डिस्कॉम) से संपर्क करें या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर डायल करें। डिस्कॉम के ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानकारी के लिए यह लिंक है https://solarrooftop.gov.in/grid_others/discomPortalLink।

प्रदेश सरकार गद्दी समुदाय के कल्याण के लिए कृतसंकल्पः जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश गद्दी कल्याण बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पुलिस विभाग को गद्दी समुदाय की भेड़ों और बकरियों की चोरी रोकने तथा अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने इस विषय पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसके अनुसार समुदाय के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तय की गई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि गद्दी कल्याण बोर्ड में गद्दी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र से गद्दी समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं ग्रामीण परिवेश से सम्बन्ध रखते हैं और भेड़पालकों की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। उनका गद्दी समुदाय से विशेष लगाव है और उन्हें भी इस समुदाय का विशेष प्रेम और सम्मान मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के कारण गद्दी समुदाय को उनकी भेड़ तथा बकरियों के नुकसान का मुआवजा अविलम्ब मुहैया करवाया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गद्दी समुदाय की भेड़ और बकरियों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि उनके झुंड को विभिन्न गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बैठक में उठाए गए जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थान खोलने और स्तरोन्नत करने सम्बन्धी मुद्दों की अलग से निगरानी करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उनके द्वारा जारी किए गए चराई परमिट किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित न किये जाएं। इस प्रकार के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ही वर्ष 2003 में गद्दी समुदाय को यह विशेष जनजातीय का दर्जा दिया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गद्दी समुदाय को पहले की तरह जनजातीय का दर्जा मिला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1966 के बाद पंजाब से विलय होने वाले क्षेत्रों के गद्दी समुदाय को जनजातीय का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर विचार करेगी ताकि अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि गैर-जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के लिए बजट का पर्याप्त प्रावधान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गैर-जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 46 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने में सफलता मिली है। पिछली सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान केवल 33 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा निगम को 2.40 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। उन्होंने गद्दी समुदाय का विकास और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों को योजनाएं बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग गद्दी समुदाय को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉ. राम लाल मारकंडा ने मुख्यमंत्रे एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण बोर्ड की बैठक लंबे समय से लम्बित थी।

बैठक में विधायक बिक्रम सिंह जरयाल और जिया लाल कपूर और अन्य गैर सरकारी सदस्यों ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

वूलफेड के अधयक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन को सुदृढ़ किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान फेडरेशन को 136.94 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि गैर जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के विकास के लिए बजट में तीन प्रतिशत का अलग से प्रावधान किया जाए।

प्रधान सचिव जनजातीय विकास ओंकार शर्मा ने मुख्यमंत्री, मंत्री, गैर-सरकारी सदस्यों और अन्य व्यक्तियों का बैठक में भाग लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने और सुझाव देने के लिए आभार व्यक्त किया।

विशेष सचिव जनजातीय विकास सी.पी. वर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

एसजेवीएन अध्यक्ष ने ऊर्जा संरक्षण पर पेंटिंग प्रतियोगिता के पुरस्कार प्रदान किए

शिमला/शैल। एसजेवीएन के कारपोरेट कार्यालय में ऊर्जा संरक्षण पर राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। नन्द लाल शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन समारोह के मुख्य अतिथि थे। समारोह में गीता कपूर, निदेशक (कार्मिक), एस.पी. बंसल, निदेशक (सिविल) सहित एसजेवीएन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

एसजेवीएन ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। एसजेवीएन हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी है। कक्षा पांचवी से दसवीं तक के विद्यार्थह इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र थे - समूह 'ए' (कक्षा पांचवी से सातवी तक के लिए) और समूह 'बी' (कक्षा आठवीं से दसवीं के लिए)।

इस वर्ष के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का मुख्य थीम ''आजादी का अमृत महोत्सव'' था जिसमें 'एनर्जी एफिशिएंट इंडिया' और 'क्लीनर प्लेनेट' पर फोकस किया गया। इस वर्ष प्रतियोगिता में लगभग 1000 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

दोनों ग्रुपों में अर्पिता ठाकुर और अरुषी अत्री ने 50,000 रुपए प्रत्येक के प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए, जबकि रुद्रांश जिंदल और आयुष कुमार ने 30,000 रुपए प्रत्येक के द्वितीय पुरस्कार, जबकि 20,000 रुपए प्रत्येक के तृतीय पुरस्कार आकृति शांडिल और कपिल ने प्राप्त किए। दोनों ग्रुपों के लिए 7,500 रुपए प्रत्येक के 10 सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

नन्द लाल शर्मा ने पुरस्कार वितरण के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि मैं एसजेवीएन द्वारा आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता को प्राप्त अपरिहार्य प्रतिक्रिया से प्रसन्न हूं। यह देखना उत्साहजनक है कि युवा कलाकार स्वयं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं और सराहना के साथ-साथ हमें ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में सोचने के लिए विवश करते हैं। कला हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और मानवता के हर पहलू से जुड़ी है। विजेताओं के साथ-साथ सभी प्रतिभागियों को उनकी प्रतिभा और रचनात्मक भावना के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई।

गीता कपूर, निदेशक (कार्मिक) ने अवगत कराया कि प्रतियोगिता का आयोजन तीन स्थानों शिमला, झाकड़ी और हमीरपुर में किया गया था।

आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, जलविद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता के पश्चात प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए एसजेवीएन के कर्मचारियों के लिए एक वीडियो क्लिप प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। नन्द लाल शर्मा ने इस प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किए। प्रणय सागर ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि द्वितीय और तृतीय पुरस्कार क्रमशः देवकन्या ठाकुर तथा हर्ष भास्कर मेहता ने प्राप्त किए।

प्रत्येक समूह से शीर्ष तीन पेंटिंग राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी और विजेताओं का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई पेटिंगों में से किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रतियोगिता में दोनों ग्रुपों के लिए प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपए प्रत्येक है, जबकि द्वितीय और तृतीय पुरस्कार क्रमशः 50,000 रुपए और 30,000 रुपए प्रत्येक होगा। इसके अतिरिक्त, दोनों ग्रुपों के लिए 15,000 रुपए प्रत्ध्येक के 10 सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

एसजेवीएन वर्ष 2004 से हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तर पर पेंलटग प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए नोडल एजेंसी है। एसजेवीएन द्वारा आयोजित की जा रही प्रतियोगिता विद्यार्थियों को उनकी रचनात्मकता प्रदर्शित करने और उन्हें ऊर्जा संरक्षण के संबंध में जागरूक करने के लिए एक मंच प्रदान करने का एक अनुकरणीय प्रयास है। विजेताओं की विस्तृत सूची उनके स्कूलों सहित इसके साथ संलग्न है।

10 दिसंबर को राज्य के सभी कानूनी सेवा संस्थानों में मानवाधिकार दिवस मनाया गया

शिमला/शैल। न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राज्य के सभी कानूनी सेवा संस्थानों द्वारा मानवाधिकार दिवस मनाया गया।

मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, गरिमा आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से, जो वंचित, गरीब, दलित, उपेक्षित, और कमजोर हैं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है।

न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, उप मंडल विधिक सेवा समितियों एवं अन्य विधिक सेवा संस्थानों को जेलों, बाल देखभाल संस्थानों, वृद्धाश्रमों, ऑब्जर्वेशन होम, स्लम, लेबर कॉलोनियां में विधिक जागरूकता एवं कानूनी साक्षरता कार्यक्रम आयोजित कर मानवाधिकार दिवस मनाने का निर्देश दिया था।

प्रदेश के सभी ग्यारह जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं अड़तालीस उपमंडल विधिक सेवा समितियों में मानवाधिकार दिवस मनाया गया। पूरे प्रदेश में जेलों, बाल देखभाल संस्थानों, वृद्धाश्रमों, निरीक्षण गृहों, मलिन बस्तियों, श्रम कालोनियों आदि में कानूनी सेवाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बालिका आश्रम, टूटीकंडी का दौरा किया और बालिकाओं के साथ बातचीत की। कार्यकारी अध्यक्ष के साथ बातचीत सभी बालिकाओं के लिए प्रेरणा का स्त्रोत एवं एक अतुल्य अनुभव था।

इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष ने उप-जेल, कैथू, शिमला का भी दौरा किया तथा जेल में मौजूद कैदियों के साथ बातचीत की। इसके अतिरिक्त जेल के कैदियों को बुनियादी मानवाधिकारों और निशुल्क कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया।

कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जेलों में कोविड-19 वायरस के पुनः संक्रमण की स्थिति के जायजे के लिए गठित राज्य उच्चाधिकार समिति का भी नेतृत्व कर रही है। कार्यकारी अध्यक्ष ने जेलों में कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की स्थिति पर भी जानकारी ली। कोई भी कैदी कोविड-19 संक्रमित नहीं पाया गया और 95% से अधिक कैदियों को टीका लगाया जा चुका है। सभी जेलों में टीकाकरण अभियान अभी भी जारी है।

जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल कला महोत्सव का अवलोकन किया

शिमला/शैल। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली स्थित होटल ललित में आयोजित स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने हिमाचली कारीगरों

व शिल्पियों द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

इस अवसर पर सांसद व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सांसद किशन कपूर विशेष ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉ. मल्लिका नड्डा, ललित ग्रुप ऑफ हास्पिटैलिटी की अध्यक्षा ज्योत्सना सूरी और प्रधान आवासीय आयुक्त सुशील कुमार सिंगला भी उपस्थित थे।

यह महोत्सव हिमाचली कला और शिल्प का एक अनूठा संगम है और आजादी का अमृत महोत्सव तथा हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जंयती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 4 से 9 दिसंबर 2021 तक हिमाचल प्रदेश सरकार और होटल ललित द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 4 दिसम्बर, 2021 को किया था।

डॉ. मल्लिका नड्डा और ज्योत्सना सूरी की पहल है पर आयोजित इस महोत्सव के माध्यम से हिमाचली कारीगरों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच प्राप्त हुआ है। महोत्सव के दौरान कुल्लू, सिरमौर और किन्नौर जिला के लोक कलाकारों द्वारा हिमाचल की लोक संस्कृति पर आधारित आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे है। महोत्सव में हिमाचली हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तित्व भी हिस्सा ले रहे हैं।

हिमाचली कारीगरों द्वारा हिमाचली हस्तशिल्प, चंबा रुमाल, लकड़ी के शिल्प, धातु शिल्प, कांगड़ा पेंटिंग, किन्नौरी और कुल्लू शॉल इत्यादि के आर्कषक स्टॉल लगाए गए हैं। हिमाचल के लोक नृत्य और लोक संगीत के कार्यक्रमों के अलावा सेपू वड़ी, राजमाह मदरा, चम्बयाली पलदा सहित अनेक हिमाचली व्यंजनों को भी होटल के मेन्यू में शामिल किया गया है ताकि लोग राज्य के व्यंजनों का आंनद व स्वाद ले सकें।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

राज्यपाल ने कहा कि जनरल बिपिन रावत ने राष्ट्र की सुरक्षा और भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए बहुत योगदान दिया। उनका निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

जय राम ठाकुर ने कहा कि देश ने भारतीय सेना के एक सम्मानित अधिकारी और शीर्ष कमांडर को खो दिया है, उन्होंने कई महत्वपूर्ण अवसरों पर देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि जनरल रावत द्वारा राष्ट्र को प्रदान की गई सर्वोच्च सेवाओं को सदैव याद रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

उन्होंने दुर्घटना में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है।

मत्स्य पालन क्षेत्र में केंद्र सरकार से 49 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद

शिमला/शैल। केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत राज्य के मत्स्य विभाग को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 49 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह मत्स्य पालन क्षेत्र को अधिक प्रभावी और जीवंत तरीके से विकसित करने के लिए विभाग की पहल को बढ़ाएगा।

यह जानकारी पीआईबी को मत्स्य विभाग के निदेशक सतपाल मेहता के द्वारा दी गयी।

उन्होंने कहा कि विभागीय कार्प्स फिश फार्म में कार्प फिश सीड का उत्पादन राज्य के निजी मत्स्य उत्पादकों के लिए गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन के साथ-साथ राज्य के जलाशयों, नदियों और नालों में भंडारण के उद्देश्य से किया जा रहा है।

मेहता ने कहा कि निजी ट्राउट उत्पादकों को गुणवत्तापूर्ण बीज के वितरण के लिए विभागीय ट्राउट फार्मों में ट्राउट मछली प्रजनन किया जाता है और खेल मत्स्य पालन (एंगलिंग) ठंडे पानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य, नदियों/नालों में भंडारण किया जाता है।

ट्राउट उत्पादकों के लाभ के लिए राज्य में ट्राउट पशुधन बीमा लागू किया गया है। विभाग में विभिन्न मदों की खरीद के लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित विकासात्मक गतिविधियों/निर्माण कार्यों को विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

मेहता ने आगे कहा कि विभिन्न विकास योजनाओं जैसे मछली उत्पादन, बीज उत्पादन, तालाबों का निर्माण और ट्राउट रेसवे आदि के तहत निर्धारित सभी लक्ष्यों को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त किया जाना है।

12 ज़िलों में खेलो इंडिया सेंटर के लिये 60 लाख मंजूर:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश : केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने व खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के उदेश्य से ऊना के बंगाणा में 4.5 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय हॉल प्रदेश के सभी 12 ज़िलों में 60 लाख की लागत सें खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी दे दी है। ऊना से स्थानीय सांसद व प्रदेश सरकार में पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना में एक बहुउद्देशीय हॉल की मांग प्रदेश सरकार के माध्यम से खेल मंत्रालय को भेजी थी जिसे खेल मंत्रालय ने मंजूर करते हुए इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। यह प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौग़ात है।

अनुराग ठाकुर ने कहा हमारे हिमाचल में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हिमाचल के खिलाड़ी आने वाले राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम ऊँचा कर सकें देश को गौरवान्वित कर सके इसके लिए उन्हें हर सम्भव सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी।

प्रदेश के 12 जिलों में बनने वाले खेलो इंडिया सेंटर का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	जिले का नाम	मौजूदा केआईसी	शिक्षण	प्रस्तावित कैआईसी	आवर्ती व्यय (लाख रू. में)	अनावर्ती व्यय (लाख रू. में)
1.	बिलासपुर	शून्य	शून्य	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लुहनु, बिलासपुर, यूथ सर्विस एवं स्पोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश	5.00/-	5.00/-
2.	चम्बा	शून्य	शून्य	चम्बा, डीवाईएसएसओ ग्राउंड, यूथ सर्विस एवं स्पोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश	5.00/-	5.00/-
3.	हमीरपुर	शून्य	शून्य	सिंथेटिकस ट्रैक, जिला हमीरपुर, यूथ सर्विस एवं स्पोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश	5.00/-	5.00/-
4.	धर्मशाला में कांगड़ा	शून्य	शून्य	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, धर्मशाला, यूथ सर्विस एवं स्पोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश	5.00/-	5.00/-
5.	काज़ा में लाहुल और स्पीति	शून्य	शून्य	स्टेट कोचिंग सेंटर लाहुल, काज़ा, यूथ सर्विस एवं स्पोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश	5.00/-	5.00/-
6.	किन्नौर	शून्य	शून्य	बॉक्सिंग कोचिंग सेंटर, रिकांगपिओ, यूथ सर्विस एवं स्पोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश	5.00/-	5.00/-
7.	कुल्लु	शून्य	शून्य	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धालपुर ग्राउंड, कुल्लू, यूथ सर्विस एवं स्पोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश	5.00/-	5.00/-
8.	मंडी	शून्य	शून्य	स्टेट कोचिंग, सेंटर, मंडी	5.00/-	5.00/-
9.	शिमला	शून्य	शून्य	इंडोर/आउटडोर स्टेडियम, रोहरू, शिमला, यूथ सर्विस एवं स्पोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश	5.00/-	5.00/-
	आईजीएसएससी, शिमला	शून्य	शून्य	इंदिरा गांधी स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, शिमला, यूथ सर्विस एवं स्पोर्ट्स,	5.00/-	5.00/-
				हिमाचल प्रदेश		
10.	नाहन में सिरमौर	शून्य	शून्य	स्टेट कोचिंग सेंटर सिरमौर, नाहन इनडोर/आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यूथ सर्विस एवं स्पोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश	5.00/-	5.00/-
11.	सोलन	शून्य	शून्य	स्टेट कोचिंग सेंटर थाडो ग्राउंड, सोलन, राज, यूथ सर्विस एवं स्पोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश	5.00/-	5.00/-
12.	ऊना	शून्य	शून्य	इंदिरा स्टेडियम, ऊना, यूथ सर्विस एवं स्पोर्ट्स, हिमाचल प्रदेश	5.00/-	5.00/-
				कुल अनुदान	60.00 लाख	60.00 लाख

गुज्जर समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं की जा रहीं कार्यान्वित:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने धर्मशाला में गुज्जर कल्याण बोर्ड की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार गुज्जर समुदाय के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य रूप से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े होने के कारण गुज्जर समुदाय को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने पशुपालन विभाग को गुज्जर समुदाय को बेहतर नस्ल के मवेशी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि वे अपने पशुओं से बेहतर आय प्राप्त कर सकें।

जय राम ठाकुर ने गुज्जर समुदाय के सदस्यों से अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में समुदाय को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने के भी निर्देश दिए ताकि इस समुदाय के बच्चे आधुनिक शिक्षा से वंचित न रहें। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब राज्य सरकार ने गुज्जर समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि गुज्जर समुदाय को विकास और प्रगति के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से ही जनजातीय क्षेत्र के लोगों की स्थिति अन्य सभी राज्यों से बेहतर है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री डॉ. राम लाल मारकंडा ने जनजातीय लोगों के कल्याण के प्रति विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

प्रधान सचिव जनजातीय विकास ओंकार शर्मा ने मुख्यमंत्री, मंत्री और गैर सरकारी सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए आभार व्यक्त किया।

विशेष सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सी.पी. वर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री से डलहौजी को रेल मार्ग से जोड़ने का अनुरोध

शिमला/शैल। चंबा के लोकसभा सदस्य किशन कपूर ने हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी जिला चंबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटन नगर डलहौजी को पठानकोट रेल मार्ग से जोड़ने का मामला लोकसभा में उठाया।

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सांसद किशन कपूर ने पठानकोट (चक्की बैंक) रेल -लाइन से डलहौजी को जोड़ने के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय से विचार करने का अनुरोध किया । उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला देशी और विदेशी पर्यटकों में समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिकता व नैसर्गिक आभा के कारण विख्यात है। इस जिला की विशिष्ट वन-संपदा, पर्वत-श्रृंखलाओं के रोचक दृश्य बरबस ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि 6500 वर्ग किलो मीटर में फैले इस जिले के एक तरफ जम्मू-कश्मीर के सीमाएँ हैं तो दूसरी ओर पंजाब प्रदेश। इस जिले की जनसंख्या का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है और यह जिला तीर्थाटन के साथ-साथ साहसिक पर्यटन के समुचित अवसर प्रदान करता है। चंबा एक आकांक्षी जिला है जहां विकास की ओर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी जिला के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पर्यटन नगर डलहौजी को पठानकोट (चक्की बैंक) रेल लाइन से जोड़ने के एक प्रस्ताव पर विचारार्थ सदन के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं।

डलहौजी की ऐतिहासिकता की चर्चा करते हुए सांसद किशन कपूर ने कहा कि डलहौजी का संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस और क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के चाचा स्वतंत्रता सेनानी अजीत सिंह से भी रहा है। डलहौजी की दूरी पठानकोट रेलवे स्टेशन से मात्र 85 किलोमीटर है । सांसद किशन कपूर ने भानुपली (बिलासपुर)-लेह जैसी महत्वाकांक्षी रेल मार्ग निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान कर हिमाचलवासियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को बुलंदियाँ प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री का आभार व्यक्त किया ।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त पर्यटन स्थली डलहौज़ी को रेल मंत्रालय द्वारा पठानकोट रेल लाइन से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए तो प्रदेश के चंबा जिला में भी विकास के नए युग का सूत्रपात होगा ।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या सामान्य वर्ग आयोग का गठन एक राजनीतिक विवशता हो गयी थी

- क्या आरक्षण के किसी भी प्रावधान कोई बदलाव राज्य सरकार कर सकती है
- क्या स्वर्ण मोर्चा की मांगों को संसद या सर्वोच्च न्यायालय तक ले जायेगी प्रदेश भाजपा
- अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण अभी भी 18% तक ही क्यों लटका है
- जनजातीय क्षेत्रों के बजट में 3% की कटौती का प्रस्ताव क्यों

शिमला/शैल। जयराम सरकार को स्वर्ण मोर्चा के दबाव के आगे सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी करनी पड़ी है। स्वर्ण मोर्चा लंबे समय से इस आयोग के गठन की मांग कर रहा था। विधानसभा के पिछले सत्र में भी मोर्चा के लोगों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया था। उस समय कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी इस मांग का समर्थन किया था। मुख्यमंत्री ने भी यहआश्वासन दिया था कि सरकार आयोग का गठन करेगी। इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब आयोग के गठन के लिए सरकार वचनबद्ध थी तो फिर मोर्चा के लोगों का हरिद्वार तक की पदयात्रा, शिमला में एट्रोसिटी एक्ट की शव यात्रा और अंत में धर्मशाला में मोर्चा को उग्र आंदोलन तक ले जाने की राजनीतिक आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या यह आंदोलन प्रायोजित था? क्या इस आंदोलन और आयोग के गठन के पीछे कोई लंबी रणनीति है? यह सवाल इसलिए प्रसांगिक हैं क्योंकि ऐसे आयोग के गठन को किसी भी अधिनियम से बल नहीं मिलता है। इसे आयोग का गठन होने से किसी को लाभ नही मिल पायेगा। क्योंकि स्वर्ण मोर्चा की जो भी मांगे जातिगत आरक्षण हटाने को लेकर है उन पर कुछ भी कर पाना प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। राज्य सरकार केवल केंद्र सरकार को इस तरह के आग्रह की सूचना और सिफारिश ही भेज सकती है। इस व्यवहारिक पक्ष को सामने रखते हुये सामान्य वर्ग आयोग के गठन से आने वाले दिनों में एक ऐसे राजनीतिक वातावरण की परिस्थितियां निर्मित हो जायेंगी जो सरकार और प्रदेश दोनों के ही हित में नहीं होंगी।

यह स्पष्ट है कि स्वर्ण मोर्चा की मुख्य मांग है कि जातिगत आरक्षण समाप्त करके सारा आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाये। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने भी एक बयान में मोर्चा की इस मांग का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे आंदोलन की आवश्यकता पर बल दिया है। शांता कुमार के इस बयान से यह संकेत उभरते हैं कि इस तरह के किसी आंदोलन की भूमिका तैयार की जा रही है। क्योंकि जातिगत आरक्षण देश की संसद द्वारा आयोगों काका कालेलकर 1953 और वी पी मंडल 1979 तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आरक्षण के आकार और आधार निर्धारित करने के लिए गठित 17आयोगों की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। इसमें दोनों केंद्रीय आयोगों ने जाति को आरक्षण का आधार माना था। जबकि राज्य स्तर पर 17 में से चार कर्नाटक जम्मू-कश्मीर पश्चिम बंगाल और गुजरात ने आर्थिक स्थिति को आरक्षण का आधार माना था। इस परिदृश्य में जब मंडल आयोग की सिफारिशें 1990 में लागू करने का फैसला वी पी सिंह सरकार ने किया तब देश में किस तरह का हिंसक विरोध हुआ था यह सब जानते हैं। इसी विरोध के परिणाम स्वरूप वी पी सिंह की सरकार गिर गई थी। इसके बाद पी बी नरसिंह राव सरकार आयी। इस सरकार ने 25 सितम्बर 1991 को उंची जातियों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों के लिए 10% अतिरिक्त आरक्षण देने का फैसला लिया। क्योंकि 1963 में ही सर्वोच्च न्यायालय बालाजी बनाम मैसूर राज्य में यह फैसला दे चुका था कि आरक्षण 50% से कम होना चाहिए। इस पर मंडल आयोग की सिफारिशों का मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी बनाम भारत का सरकार में ऐतिहासिक फैसला आ गया और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित कर दी गयी। 8 सितंबर 1993 को इस फैसले को लागू करने की अधिसूचना जारी हो गयी। जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27%आरक्षण कर दिया गया। इसमें यह महत्वपूर्ण रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उंची जातियों के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों और पिछड़ी जातियों के सम्पन्न लोगों के लिए आरक्षण को सामान्य करार दे दिया। इसके लिए संविधान की धारा 16(4) को आधार बनाया गया इसी में पिछड़ी जातियों के संपन्न लोगों को चिन्हित करने के लिए क्रीमी लेयर का मानक रखा गया। उस समय यह क्रीमी लेयर एक लाख आय रखी गयी थी जो अब मोदी सरकार ने बढ़ाकर आठ लाख कर दी है। यही नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने जब भी आरक्षण को लेकर कोई व्यवस्था देने का प्रयास किया है तो मोदी सरकार ने ऐसे हर प्रयास को संसद में निरस्त कर दिया है। आज भी हिमाचल प्रदेश में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए तय आरक्षण की 27 प्रतिशत सीमा का व्यवहारिक रूप से पालन नहीं हो रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण अभी 18% से आगे नहीं बढ़ पाया है। अन्य क्षेत्रों में तो यह 10% से भी बहुत कम है। दूसरी ओर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो 9% बजट का प्रावधान रखा गया है उसमें से भी 3% काटकर उन जनजातियों को देने का फैसला लिया जा रहा है जो जनजातीय क्षेत्रों से बाहर रह रही हैं। जबकि इन्हीं वर्गों ने पिछले दिनों शिमला में आयोजित एक सम्मेलन यह आरोप लगाया है कि उनके लिए आवंटित बजट का 7% भी खर्च नहीं किया जा रहा है।

इस वस्तु स्थिति में सामान्य वर्ग आयोग स्वर्ण मोर्चा की मांगों पर अमल करने के लिए क्या कर पायेगा। क्योंकि आरक्षण के किसी भी प्रावधान को बदलने या उसमें कुछ जोड़ने घटाने का एक ही मंच है और वह संसद है। दूसरा मंच सर्वोच्च न्यायालय है लेकिन उसके फैसलों को बदलने का अधिकार संसद के पास रहता है। ऐसे में जब आने वाले दिनों में मोर्चा का नेतृत्वे सरकार से यह पूछेगा कि उसकी मांगों का क्या हुआ तो सरकार क्या जवाब देगी। क्या सरकार मोर्चा की मांगे केंद्र सरकार को भेजेगी और अपने सांसदों के माध्यम से संसद में उठवायेगी? या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगी? यह सवाल चुनावी वर्ष में हर रोज उठाने के लिए मंच तो बन ही चुका है। इसी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी उनके लिये तय आरक्षण कि 27 प्रतिशत सीमा की हर क्षेत्र में अनुपालन की मांग करेंगे। जनजातीय क्षेत्रों के बजट में 3% की कटौती के प्रस्ताव पर यहां के नेतृत्व की प्रतिक्रिया क्या रहेगी यह देखना भी दिलचस्प होगा। सरकार ने स्वर्ण मोर्चा के प्रदर्शन के दबाव में आयोग का गठन कर दिया पेंशन योजना के प्रदर्शन पर उनके लिये कमेटी का गठन कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अपनी मांग मनवाने के लिये सरकार को आंखे दिखाने का ही विकल्प शेष रह गया है।

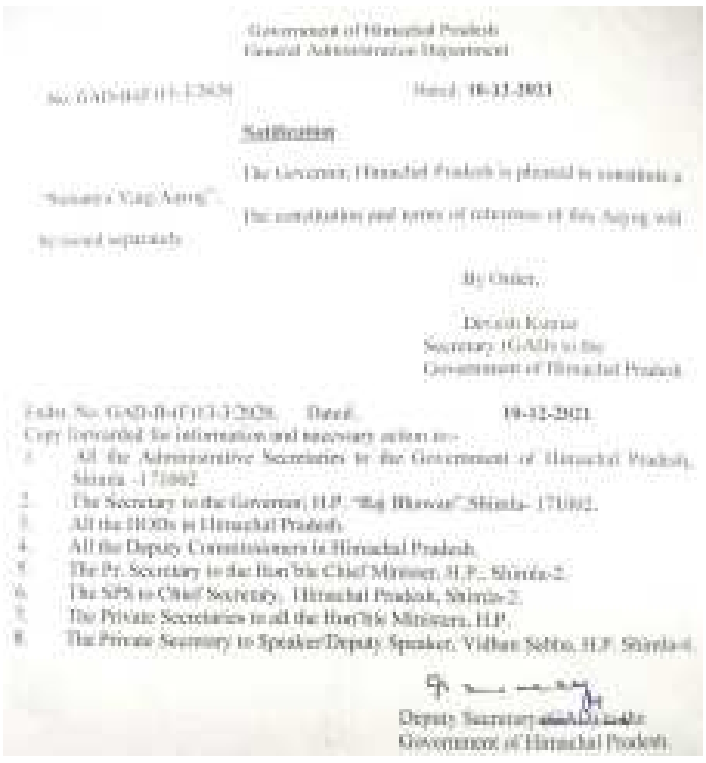

Government of Himachal Pradesh
General Administration Department

No. [illegible] Dated: 10-12-2021

Notification

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a "Samanya Varg Aayog". The constitution and terms of reference of this Aayog will be issued separately.

By Order,
Devesh Kumar
Secretary (GAD) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. [illegible] Dated: 10-12-2021
Copy forwarded for information and necessary action to:-
1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla -171002
2. The Secretary to the Governor, H.P. "Raj Bhawan" Shimla- 171002.
3. All the HODs in Himachal Pradesh.
4. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
5. The Pr. Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
6. The SPS to Chief Secretary, Himachal Pradesh, Shimla-2.
7. The Private Secretaries to all the Hon'ble Ministers, H.P.
8. The Private Secretary to Speaker/Deputy Speaker, Vidhan Sabha, H.P. Shimla-4.

Deputy Secretary (GAD) to the
Government of Himachal Pradesh.

प्रधानमंत्री की संभावित

..पृष्ठ 1 का शेष

कर्ज के बावजूद भी यह सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है। आज जब मल्टी टास्क वर्कर भर्ती करने के लिये आठ हजार संस्थानों में चार हजार मुख्यमंत्री के कोटे से भरने की नीति बनाने पर सरकार आ जाये तो अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उसका बेरोजगार युवाओं और उनके अभिभावकों पर क्या असर हुआ होगा।

सरकार की इसी तरह की नीतियों का परिणाम है कि हर चुनाव क्षेत्र का प्रभाव किसी ना किसी मंत्री के पास होने के बावजूद सरकार हार गयी। क्या इन प्रभारी मंत्रियों ने चुनाव के दौरान किसी भीतरघात की शिकायत की थी शायद नहीं। क्या टिकटों का आवंटन इन मंत्रियों या धूमल गुट ने किया था शायद नहीं। ऐसे में आज जो भूमिका तैयार की जा रही है क्या उसे आने वाले आम चुनाव में मिलने वाली हार की जिम्मेदारी अभी से दूसरों पर डालने की नीयत और नीति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये। इस परिदृश्य में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस हार के बावजूद प्रधानमंत्री क्या संदेश देकर जाते हैं।